



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह।  
(जिला भू-अर्जन शाखा)

ई-मेल:-dlao-giridih@jharkhandmail.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-०२ के छः लेनिंग चौड़ीकरण परियोजना अंतर्गत The National Highway Act 1956 के Section 3G Determination of amount payable as compensation के तहत निम्नांकित अर्जित भूमि से संबंधित अवार्ड अज्ञात घोषित है :-

क्र.	अंचल का नाम	मौजा का नाम	अवार्ड सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	मुआवजा राशि
1	डुमरी	खैराटुण्डा (छुटे हुए प्लॉट)	1	145	0.0040	54375.00
2	बगोदर	बगोदर (छुटे हुए प्लॉट)	11	6912	0.0800	1303545.27
3	बगोदर	जरमुने (छुटे हुए प्लॉट)	10	2272	0.0501	2154174.75
4	बगोदर	जरमुने (छुटे हुए प्लॉट)	11	2271	0.0400	1719900.00
5	डुमरी	कुलगो (टॉल प्लाजा)	48	3102/4	0.0699	3853971.45
6	डुमरी	कुलगो (टॉल प्लाजा)	89	3115/6	0.0142	782924.10
7	डुमरी	कुलगो (टॉल प्लाजा)	91	3115/8	0.0215	1435161.25
8	डुमरी	कुलगो (टॉल प्लाजा)	109	3117	0.0200	1102710.00

इस प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सारणी में अंकित भूमि के मुआवजा भुगतान का दावा करने हेतु भूमि संबंधी कागजात प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन के सात दिनों के अन्दर संबंधित रैयत जिला भू-अर्जन कार्यालय, गिरिडीह में अचूक रूप से समर्पित करें। निर्धारित समय-सीमा बीत जाने के बाद किसी प्रकार का दावा/आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगा एवं The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement ACT 2013 की धारा 64 एवं 77(2) के आलोक में मुआवजा राशि L.A. कोर्ट, हजारीबाग भेज दिया जायेगा, जिसके लिए संबंधित रैयत स्वयं जिम्मेवार होंगे।


18/09/2020  
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,  
गिरिडीह।

ज्ञापांक ...2354/भू.अ. दिनांक...16.09.2020

- प्रतिलिपि :- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन सभी दैनिक समाचार पत्रों में कराने का कष्ट किया जाय।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस प्रेस विज्ञप्ति को गिरिडीह जिला के अधिकारिक वेबसाईट [www.giridih.nic.in](http://www.giridih.nic.in) पर अपलोड करने का कष्ट किया जाय।
- प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, डुमरी/बगोदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि इस प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर करना सुनिश्चित किया जाय।
- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित अमीन/कानूनगो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- परियोजन निदेशक, NHAI, काण्ड्रा गोविन्दपुर, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, गिरिडीह को सादर सूचनार्थ।
- प्रतिलिपि :- उपायुक्त, गिरिडीह को सादर सूचनार्थ।

जिला भू-अर्जत पदाधिकारी,  
गिरिडीह।

  
12.09.2020

  
16/9/2020